भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1079

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता

1079. श्री शशांक मणिः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं, श्रम विवादों, चिकित्सा आपात स्थितियों या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विदेशों में फंसे और भारतीय मिशनों तथा पोस्टों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय नागिरकों की देश–वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या और सफलतापूर्वक वापस लाए गए नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों की समय पर निकासी और स्वदेश वापसी के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है; और

(घ) विदेशों में भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और कांसुलर सहायता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

क) और (ख) विगत 3 वर्षों में संघर्षों के दौरान निकाले गए भारतीय नागरिकों का विवरण अनुबंध –I में दिया गया है। विगत 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं, श्रम विवादों, चिकित्सा आपात स्थितियों और अन्य अनपेक्षित परिस्थितियों के दौरान प्रत्यर्पित और सहायता प्राप्त भारतीय नागरिकों का देशवार विवरण अनुबंध –II में दिया गया है। उपरोक्त सहायता के अलावा, भारत सरकार ने ईरान–अमेरिका–इस्राइल संघर्ष की शुरुआत से ही पश्चिम एशियाई देशों से भारतीय नागरिकों को भारत लौटने में सहायता प्रदान की है , जिसमें वाणिज्यिक उड़ान सुविधा, गैर–निर्धारित ऑपरेशन्स, ट्रांजिट वीज़ा, स्थानीय परिवहन, सीमा पार यात्रा आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सलामती और भलाई सुनिश्चत करने के लिए, सरकार एक संरचित, बहु–स्तरीय प्रणाली का उपयोग करती है, जिसमें भारतीय नागरिकों को चेतावनी संबंधी परामर्शी, भारतीय नागरिकों को भारतीय मिशन/केंद्रों से संपर्क करने हेतु सक्षम तथा संचार चैनल तथा निकासी संबंधी ऑपरेशन शामिल हैं, जिनमें कई हितधारक शामिल होते हैं, ताकि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। निकास संबंधी प्रक्रिया के दौरान, मुख्यालय और विदेशों में 24x7 कंट्रोल रूम चलाए जाते हैं ताकि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को जानकारी और सहायता प्रदान की जा सके। सरकार लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान करती है जिसमें सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्थानीय और सीमा पार आवागमन तथा विशेष वाहन की व्यवस्था करके परिवहन और निकास संबंधी उड़ानें शामिल हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली संकट स्थितियों का तुरंत जवाब देने के उद्देश्य से, मंत्रालय का 'रैपिड रेस्पॉन्स सेल (आरआरसी)' सभी एजेंसियों, सेवाओं, सशस्त्र बलों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है ताकि निकास संबंधी ऑपरेशनों के निष्पादन के लिए निर्बाध अंतर–मंत्रालयीय समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय ने निकासी ऑपरेशनों के दौरान उपयोग के लिए एक डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी समाधान भी विकसित किया है और इसका अंतिम परीक्षण कर रहा है।

संकट और संघर्ष की स्थितियों में आपातकालीन सहायता के अलावा, सरकार ने विदेश में भारतीय नागरिकों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। भारतीय नागरिक दूतावास/कोंसलावास से वॉक–इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सऐप नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद/सीपीग्राम्स/ई माईग्रेट, और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मिशन विभिन्न स्थानों पर कोंसली शिविर आयोजित करते हैं ताकि कोंसली सेवाएं प्रदान की जा सकें, और ओपन हाउस भी रखते हैं, जहां सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिक बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं।

जिन देशों में भारतीय प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक है, वहां भारतीय मिशनों में सम र्पित श्रमिक स्कन्ध (लेबर विंग) बनाए गए हैं। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र नई दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसी महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, ताकि भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और सलाह दी जा सके।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में शेल्टर होम्स का प्रावधान है जो संकट में फंसी भारतीय महिलाओं की सहायता जैसे कि भोजन और आवास, चिकित्सा संबंधी उपचार और उन्हें उनके देश में लौटने में व्यवस्था करते हैं।

भारत सरकार ने मुख्य गंतव्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय तंत्र और व्यवस्थाओं की स्थापना की है, जो कार्यकर्ता सुरक्षा प्रावधानों के कार्यान्वयन, शिकायतों के समाधान और कानूनी सहायता ढांचे को सक्षम बनाते हैं। देशों के साथ हस्ताक्षरित माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं से संबंधित मामलों को सुलझाने में सहायता प्रदान करते हैं।

अनुबंध– I

विगत 3 वर्षों में सरकार के प्रमुख निकासी/ऑपरेशन संबंधी विवरण

वर्ष	देश और ऑपरेशन का नाम	निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या
2023	सूडान ऑपरेशन कावेरी	4,097 (136 विदेशी नागरिकों सहित)
2023	इज़राइल ऑपरेशन अजय	1,343 (14 ओ सी आई कार्ड होल्डर और 20 विदेशी नागरिक शामिल हैं)
2024	हैती ऑपरेशन इंद्रावती	17
2024	कुवैत से मृत भारतीय नागरिकों को विशेष मानवीय एयरलिफ्ट	45 (पार्थिव शरीर)
2024–25	सीरिया	86
2022–25	इराक	135
2025	ईरान ऑपरेशन सिंधु	3597 (14 ओ सी आई कार्ड होल्डर और 14 विदेशी नागरिकों को छोड़कर)
2025	इज़राइल ऑपरेशन सिंधु	818
2025	श्रीलंका एचएडीआर ऑपरेशन सागर बंधु	2500 (424 भारतीयों को स्पेशल आई ए एफ फ्लाइट्स से निःशुल्क निकाला गया + 2076 भारतीयों को

		कमर्शियल फ़्लाइट्स से वापस भेजा गया))
2025–26	थाईलैंड–म्यांमार बॉर्डर पर साइबर स्कैम सेंटर में काम करने के लिए मजबूर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा जाना	1741
2026	ईरान से आर्मेनिया (हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईरान से आर्मेनिया के रास्ते भारतीय नागरिकों का बॉर्डर पार आवाजाही, उपलब्ध फ़्लाइट्स से वापसी)	2557

अनुबंध– II

विगत 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं, मज़दूरों के झगड़ों, मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी अचानक आई मुश्किलों के दौरान सहायता पाने वाले भारतीय नागरिकों की जानकारी और वापस लाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या।

देश	भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय नागरिकों की संख्या	भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों की संख्या
अल्बानिया	16	14
एलजीरिया	21	21
अंगोला	28	20
आर्मीनिया	182	0
ऑस्ट्रेलिया	03	03
ऑस्ट्रिया	07	0
बहरीन	1666	2258
बांग्लादेश	115	2
बेलारूस	03	03
भूटान	01	0
ब्राज़ील	02	02
कंबोडिया	2489	707
कैमरून	75	75
चाड	20	08
चिली	02	02
कोलंबिया	30	30
कोटे डी आइवर	01	0
क्रोएशिया	05	05
क्यूबा	02	02
चेक रिपब्लिक	03	02

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	01	01
ज़िबूटी	02	02
इक्वेडोर	01	0
मिस्र	08	02
एस्वातिनी	01	01
इथियोपिया	167	167
फिनलैंड	01	01
फ्रांस	01	30
गैबॉन	08	0
गाम्बिया	10	10
जॉर्जिया	460	0
जर्मनी	103	0
घाना	02	02
ग्रीस	01	0
गुयाना	73	37
हंगरी, बोस्निया और हर्जेगोविना	02	01
आइसलैंड	03	0
इंडोनेशिया	04	04
ईरान	66	66
इराक	246	0
आयरलैंड	0	09
इज़राइल	250	2127 (निकासी)

इटली	08	948
जमैका	03	03
जापान	01	01
जॉर्डन	256	329
कजाखस्तान	28	188
कुवैत	10111	10111
किर्गिज़स्तान	0	93
लाओ पीडीआर	2318	2318
लातविया	01	0
लेबनान	93	93
लाइबेरिया	14	02
लीबिया	78	65
मलेशिया	7657	7626
मालदीव	2776	2776
माल्टा	01	01
मॉरिटानिया	01	0
मॉरीशस	141	141
मंगोलिया	01	01
मोंटेनेग्रो	01	01
मोरक्को	13	01
मोज़ाम्बिक	49	46
म्यांमार	0	2078
नेपाल	388	0
नाइजर	01	0
ओमान	10917	9958
फिलिस्तीन	01	01
पापुआ न्यू गिनी	02	02

पेरू	03	0
फिलिपींस	43	22
पोलैंड	05	05
पुर्तगाल	01	01
कतर	4589	156
कांगो गणराज्य	09	0
रोमानिया	0	72
रूस	62	08
सऊदी अरब	31,896	144
सेनेगल	04	04
सर्बिया	63	190
सेशल्स	120	119
सिंगापुर	01	01
स्लोवाक गणराज्य	45	02
दक्षिण सूडान	13	01
स्पेन	701	12
श्रीलंका	3371	3371
स्विट्ज़रलैंड	0	5
सीरिया	93	93
तजाकिस्तान	11	05
थाईलैंड	2034	2034
टोगो	08	0
ट्रिनिडाड और टोबैगो	03	03
ट्यूनीशिया	51	03
तुर्किये	40	13
संयुक्त अरब अमीरात	1755	577
युगांडा और बुरुंडी	35	17

यूक्रेन	10	10
यूनाइटेड किंगडम	0	5290
उज़्बेकिस्तान	43	43
वियतनाम	129	129
यमन	153	03
ज़िम्बाब्वे	02	03
